कृष्णा जल ववाद

प्रलिम्सि के लयि:

नदी जल ववाद से संबंधति संवैधानकि प्रावधान, कृष्णा नदी और उसकी सहायक नदयिाँ, नल्लामाला पहाड़यिा।

मेन्स के लयि:

कृष्णा नदी जल ववाद चुनौतयिाँ और आगे का रास्ता, न्यायाधीशों का खंडन।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के दो जजों ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच कृष्णा नदी जल के बँटवारे के ववाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लयिा है।

- उन्होंने इसका कारण बताया कि वे पक्षपात का **नशिाना नहीं बनना चाहते क्योंकि ववाद उनके गृह राज्यों से संबंधति** है।

न्यायाधीशों का बहष्कार

- यह पीठासीन न्यायालय के अधकिारी या प्रशासनकि अधकिारी के हतिों के टकराव के कारण कानूनी कार्यवाही जैसी आधकिारकि कार्रवाई में भाग लेने से अनुपस्थति रहने से संबंधति है।
- जब हतिों का टकराव होता है तो एक **न्यायाधीश मामले की सुनवाई से पीछे हट** सकता है ताकि यह धारणा पैदा न हो कि उसने मामले का नर्णिय करते समय पक्षपात कयिा है।
- **पुनर्मूल्यांकन को नयिंत्रति करने वाले कोई औपचारकि नयिम** नहीं हैं, हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय के कई नर्णियों में इस मुद्दे पर बात की गई है।
    - **रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ (1987) मामले** में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह दूसरे पक्ष के मन में पक्षपात की संभावना की आशंका के प्रतति‍र्कों को बल प्रदान करती है।
    - न्यायालय को अपने सामने मोजूद पक्ष के तर्क को देखना चाहयि और तय करना चाहयि कि वह पक्षपाती है या नहीं।

प्रमुख बदि

- **परचिय:**
    - वर्ष 2021 में आंध्र प्रदेश ने आरोप लगाया कि तेलंगाना सरकार द्वारा उसे **"असंवैधानकि और अवैध"** तरीके से पीने एवं सचिाई के लयि पानी के अपने वैध हस्सि से वंचति कर दयिा गया।
    - श्रीशैलम जलाशय का पानी, जो कि दोनों राज्यों के बीच नदी के जल का मुख्य भंडारण है, संघर्ष का एक प्रमुख बदि बन गया है।
        - आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना द्वारा बजिली उत्पादन हेतु श्रीशैलम जलाशय के पानी के उपयोग का वरिोध कयिा।
        - श्रीशैलम जलाशय आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनाया गया है। यह नल्लामाला पहाड़यिों में स्थति है।
    - इसने आगे तर्क दयिा कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधनियिम, 2014 के तहत गठति शीर्ष परषिद में लयि गए नर्णियों, इस अधनियिम के तहत गठति कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) के नर्दिेशों और केंद्र के नर्दिेशों का पालन करने से इनकार कर रहा है।
- **पृष्ठभूमि:**
    - **कृष्णा जल ववाद न्यायाधकिरण:**
        - वर्ष 1969 में 'अंतर-राज्यीय नदी जल ववाद अधनियिम, 1956' के तहत 'कृष्णा जल ववाद न्यायाधकिरण' (KWDT) को स्थापति कयिा गया था और इसने वर्ष 1973 में अपनी रपिोर्ट प्रस्तुत की थी।
        - साथ ही यह भी नर्धारति कयिा गया था कि 'कृष्णा जल ववाद न्यायाधकिरण' आदेश की समीक्षा या संशोधन कसिी सक्षम प्राधकिारी या न्यायाधकिरण द्वारा 31 मई, 2000 के बाद कसिी भी समय कयिा जा सकता है।

- दूसरा कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण
    - वर्ष 2004 में दूसरे कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई जिसने वर्ष 2010 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। वर्ष 2010 में दिये गए निर्णय में अधिशेष जल का 81 TMC महाराष्ट्र को, 177 TMC कर्नाटक को तथा 190 TMC आंध्र प्रदेश के लिये आवंटित किया गया था।
- **KWDT की वर्ष 2010 की रिपोर्ट के बाद:**
    - आंध्र प्रदेश ने वर्ष 2011 में सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से इसे चुनौती दी थी।
    - वर्ष 2013 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण ने 'आगे की रिपोर्ट' जारी की, जिसे वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश ने फिर से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।
- **तेलंगाना का निर्माण:**
    - तेलंगाना के निर्माण के बाद आंध्र प्रदेश ने कहा है कि तेलंगाना को KWDT में एक अलग पक्ष के रूप में शामिल किया जाए और कृष्णा जल के आवंटन को तीन के बजाय चार राज्यों के बीच फिर से वितरित किया जाए।
        - यह आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 89 पर आधारित है।
        - इस खंड के प्रयोजनों हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि नियत दिन को या उससे पहले ट्रिब्यूनल द्वारा पहले से किये गए परियोजना-विशिष्ट आवंटन संबंधित राज्यों पर बाध्यकारी होंगे।

- **संवैधानिक प्रावधान:**
    - अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में प्रावधान है।
        - इसके तहत संसद किसी भी अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के जल उपयोग, वितरण एवं नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन का प्रावधान कर सकती है।
    - संसद ने दो कानून, नदी बोर्ड अधिनियम (1956) और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम (1956) अधिनियमित किये हैं।
        - नदी बोर्ड अधिनियम (River Boards Act) अंतर-राज्यीय नदी और नदी घाटियों के नियमन एवं विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा नदी बोर्डों की स्थापना का प्रावधान करता है।
        - अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम (Inter-State Water Disputes Act) केंद्र सरकार को एक अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के संबंध में दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद के निर्णय हेतु एक तदर्थ न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है।
            - किसी भी जल विवाद के संबंध में न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र है, जिसे इस अधिनियम के तहत ऐसे न्यायाधिकरण को संदर्भित किया जा सकता है।

कृष्णा नदी:

- **स्रोत:** इसका उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर (सतारा) के निकट होता है। यह गोदावरी नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है।
- **ड्रेनेज:** यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले चार राज्यों महाराष्ट्र (303 किमी), उत्तरी कर्नाटक (480 किमी) और शेष 1300 किमी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है।
- **सहायक नदियाँ:** तुंगभद्रा, मल्लप्रभा, कोयना, भीमा, घटप्रभा, येरला, वर्ना, डिंडी, मुसी और दूधगंगा।

//

आगे की राह

- जल विवादों का समाधान या संतुलन तभी किया जा सकता है जब ट्रिब्यूनल द्वारा दिये गए निर्णयों पर सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के साथ एक स्थायी ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाए।
- किसी भी संवैधानिक सरकार का तात्कालिक लक्ष्य अनुच्छेद 262 में संशोधन और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम में संशोधन तथा उसका समान रूप से क्रियान्वयन होना चाहिये।
- यह समय है कि हम सभी को जल प्रबंधन के बारे में अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना चाहिये, न केवल राज्यों के भीतर, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अगले 30 वर्षों में जल परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए आम सहमति के लिये संचार के चैनलों में सख्ती से सुधार करने की ज़रूरत है।
- तंत्र को इस तरह से सुधारना चाहिये कि केंद्र द्वारा बनाए गए निकाय को राज्यों के हितों की रक्षा के लिये पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व मिले।

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/krishna-water-dispute